UPFR010023182026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रूखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम.....एच०जे०एस० UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 1106/2026

रंजीत सिंह बनाम **शिवप्रताप सिंह आदि**

धारा – 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना – को० फतेहगढ़

जनपद – फर्रूखाबाद

दिनांक: 25.06.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत सशपथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी/आवेदक रंजीत सिंह द्वारा सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी रंजीत सिंह अनुसूचित जाति में जाटव है तथा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रार्थी ने अवैध नर्सिंग होम की अनियमितताओं के विरूद्ध आवाज उठायी थी। दिनांक 29.04.2026 को फोन सं० 8299791044 से प्रार्थी को मिलने के लिये कहा गया प्रार्थी ने फोन पर ही रेलवे रोड फतेहगढ़ पर आने के लिये बोल दिया था। शिव प्रताप सिंह (एस०पी० सिंह) जो लकूला रोड फर्रुखाबाद में एस०पी० सिंह के नाम से अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। प्रार्थी रेलवे रोड फतेहगढ़ कैपटल टेलर की दुकान के सामने समय दोपहर 01 बजे के करीब पहुँचा तभी एकाएक शिवप्रताप सिंह कमर में छोटा हथियार लगाये हुये व उसके अन्य पांच साथियों ने प्रार्थी के ऊपर लात–घूँसों से हमला करना शुरू कर दिया जिससे प्रार्थी के शरीर पर काफी चोटें आयीं सिर व पसलियों में अन्दरूनी चोटें आयी व सैकड़ों लोग उधर से निकल रहे थे, उनके सामने प्रार्थी के कपड़े फाड़ दिये और कहा कि साले चमट्टे बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। समाज में सबके सामने अपमानित करके घुमाया। प्रार्थी को मारते मारते जब बुरी हालत हो गयी तब छोड़कर भाग गये। भागते समय प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी कहा कि आज से तुम्हारी उलटी गिनती शुरू। घटना का पूरी वीडियो उनके साथ आये पत्रकार ऋषि सेंगर बनाता रहा। घटना की सूचना प्रार्थी ने थाने पर दी तथा दिनांक 30.04.26 को सरकारी अस्पताल में अपना डाक्टरी परीक्षण कराया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना की सूचना एस०पी० फतेहगढ़ को पंजीकृत डाक व व्यक्तिगत रूप से दी, परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसलिये प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना–पत्र

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.25 16:13:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत कर रहा है। अतः कोतवाली प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.04.2026 की छायाप्रति मय स्पीड पोस्ट की रसीद की छायाप्रति, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति एवं आवेदक के आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. इस सम्बन्ध में थाना को० फतेहगढ़ से जाँच आख्या आहूत की गयी। जिस पर थाना, को० फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद द्वारा जाँच आख्या दिनांकित 05.06.2026 इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं विपक्षीगण के मध्य घटना कारित हुई है। प्रकरण के समस्त घटनाक्रम तथा घटना के बावत सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ आवेदक को ज्ञात हैं। ऐसे में ऐसा कोई बिन्दु प्राप्त नहीं है जिसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस से विवेचना कराए जाने की आवश्यकता हो। अतः यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उ०प्र०राज्य 2007(59) ACC 739** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बी०एन०एस०एस० की धारा 210(1)(a) के तहत परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

आदेश

6. दाण्डिक प्रकीर्णवाद संख्या 1106/2026 को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नये दाण्डिक वाद के रुप में दर्ज हो। आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को धारा 210(1)(a) बी०एन०एस०एस० के तहत परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 09.07.2026 को पेश हो। सम्बन्धित लिपिक तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनांक: 25.06.2026

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
फर्रूखाबाद